संख्याः 113 –सै.क–03–96(सैनिक कल्याण)/2002

प्रेषक

आर. के. वर्मा
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
उत्तरांचल देहरादून

समाज(सैनिक) कल्याण अनुभाग | देहरादूनः दिनांकः 10 अप्रैल 2003

विषयः पूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/अर्द्धसैनिक बलों एवं पुलिस बल में भर्ती हेतु, भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की नियमावली/दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 3011/प्रशि./सै.क–3/7 दिनांक 30 अक्तूबर 2002 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुऐ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल में पूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/अर्द्धसैनिक बलों एवं पुलिस बल में भर्ती हेतु "भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की नियमावली/दिशा निर्देश"(संलग्न परिशिष्ट) को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त नियमावली/दिशा निर्देश तत्काल प्रभावी होगी।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय

[illegible]
सचिव

संख्याः 113 –सै.क–03–96(सैनिक कल्याण)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
2 निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री उत्तरांचल।
3 निजी सचिव मा. मंत्री सैनिक कल्याण उत्तरांचल।
4 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
5 जिलाधिकारी देहरादून/अल्मोड़ा
6 [illegible] अनुभाग, उत्तरांचल शासन देहरादून
7 जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/प्रोजेक्ट अधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा
8 उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की(हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि [illegible] निर्देश की 50 प्रतियाँ मुद्रित(छपवाकर) कर समाज(सैनिक) कल्याण अनुभाग [illegible] प्रेषित करने का कष्ट करें
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

[illegible]
अनु सचिव

शासनादेश संख्या —सै.क.—03—96(सैनिक कल्याण)/2002 दिनांक अप्रैल 2003 का संलग्नक

पूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/अर्द्धसैनिक बलों एवं पुलिस बल में भर्ती हेतु, भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की नियमावली/दिशा निर्देश—2003

1 उद्देश्य

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य उत्तरांचल के पूर्व सैनिकों के पुत्रों को शारीरिक/मानसिक रूप से कुशल, योग्य एवं सैन्य क्षेत्र में प्रवीण किया जाना है। जिससे वे सेना, अर्द्धसैनिक बलों एवं पुलिस बलों में भर्ती हेतु होने वाली परीक्षाओं का सफलता पूर्वक सामना कर सके। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों में जिम्मेदारी, कर्तव्य परायणता और सच्चाई की भावना जागृत कर अच्छा नागरिक बनाना है।

2 शैक्षिक योग्यता

प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

3 आयु

प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षणार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।

4 पाठ्यक्रम

सेना मुख्यालय नई दिल्ली आर.टी.जी.–5, नई दिल्ली के द्वारा समय–समय पर निर्धारित [illegible] के पाठ्यक्रमों के अनुसार परियोजना अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा [illegible] प्रशिक्षण [illegible] जायेगा।

5 प्रशिक्षण केन्द्र का स्थापना

भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिये गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल में एक–एक [illegible] स्थापना [illegible] जिससे दोनों मण्डलों के लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

6 प्रारम्भिक साक्षात्कार

प्रशिक्षण के लिये चुने जाने के पूर्व अभ्यर्थी का साक्षात्कार इस प्रकार से किया जाना चाहिये कि उसकी रुचि सुरक्षा सेवाओं या पैरा मिलिट्री फोर्स या पुलिस में सम्मिलित होने की है अथवा नहीं? तथा वह शारीरिक रूप से सक्षम है अथवा नहीं? यह साक्षात्कार [illegible] भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के परियोजना अधिकारी द्वारा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी/सहायक अधिकारी के समक्ष किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी को योग्य पाये जाने के उपरान्त [illegible] मुख्य चिकित्साधिकारी के [illegible] चिकित्सकीय जांच हेतु भेजा जाये। जिससे प्रशिक्षण [illegible] भर्ती हेतु चिकित्सा [illegible]

अनुपयुक्त न घोषित हो सके। प्रशिक्षण के लिये शारीरिक मापदण्ड सेना और पुलिस में भर्ती के नियमों के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों को चर्म रोग, फलैट फीट, घुटनों का मिलना या बोलेग इत्यादि बीमारियों से मुक्त होना अनिवार्य होगा।

7 **प्रशिक्षण काल**

प्रत्येक कोर्स में 8 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रखा जायेगा। जिससे वर्ष में न्यूनतम पाठ्यक्रम को पूर्णकर उसका पुनर्विलोकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त शिक्षक/स्टाफ के अवकाश एवं प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था भी की जा सकेगी। प्रत्येक प्रशिक्षण कोर्स के मध्य 2 सप्ताह का अन्तराल रखा जायेगा। जिसमें नये अभ्यार्थियों का चयन किया जा सके तथा पूर्व के कोर्स की समस्त खामियों को दूर किया जा सके। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु दो केन्द्रों पर कुल 100 प्रशिक्षणार्थियो कम से कम 40 प्रशिक्षणार्थी प्रति केन्द्र के आधार पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

8 **प्रशिक्षण स्टाफ**

प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत समस्त स्टाफ शासन की स्वीकृति के उपरान्त [illegible] जायेगा तथा ये अस्थाई पद योजना चलने तक ही सृजित माने जायेंगे। प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत कार्मिकों को गम्भीर आरोपों के तहत परियोजना अधिकारी तथा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये हटाया जा सकता है। वर्तमान में एक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु शासन द्वारा [illegible] स्टाफ स्वीकृत किया जाता है–

(क) [illegible] अवकाश प्राप्त [illegible] अधिकारी [illegible] प्रशिक्षण केन्द्र में [illegible] अनुभव प्राप्त हो।

(ख) [illegible] सेना का सेवानिवृत्त [illegible]

(ग) [illegible] स्टाफ–

- (1) [illegible] हवलदार मेजर अथवा कम्पनी मेजर [illegible] प्रशिक्षण केन्द्र में [illegible]
- (2) प्रशिक्षक [illegible]–03 [illegible] ई सी. के एवं [illegible]
- (3) लि[illegible] प्रशिक्षण केन्द्र के लिपिकीय/[illegible]
- (4) रसोइया–[illegible] प्रशिक्षणार्थियों पर एक(मैस प्रणाली अपनाये जाने पर) [illegible]
- (5) [illegible] प्रशिक्षणार्थियों पर एक(मैस प्रणाली अपनाये जाने पर) [illegible]

नोट–प्रशिक्षण केन्द्र [illegible] परियोजना अधिकारी [illegible]

(घ) सफाई कर्मचारी– [illegible] सफाई कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र के [illegible] सफाई हेतु [illegible] रुपये 300 [illegible] प्रतिमाह पर रखा जायेगा।

3 भोजन

भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अच्छा एवं पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होगी अतः यह संस्तुति की जाती है कि उनको निम्न प्रकार भोजन देने की व्यवस्था की जाय:

(1)	प्रातः	–	एक कप चाय
(2)	नाश्ता	–	चार पूड़ी अथवा दो पराठा, सब्जी के साथ दो अण्डे (सप्ताह में कम से कम तीन दिन) व एक कप चाय
(3)	दिन का भोजन	–	चावल, चपाती, दाल व एक सब्जी साथ में चटनी, सलाद, अचार व एक फल।
(4)	सायं एक कप चाय, बिस्कुट या स्नैक्स		
(5)	रात्रि का भोजन	–	चावल व चपाती, दाल एवं एक सब्जी
(6)	सप्ताह में दो दिन रात्रि भोजन के साथ मीठा(जैसे खीर, हलवा, लड्डू या रसमलाई आदि में से कोई एक)		
(7)	सप्ताह में एक दिन मांसाहारी भोजन दिया जायेगा। शाकाहारियों के लिए पनीर या इच्छानुसार व्यंजन		

नोट: भोजन हेतु सम्पूर्ण व्यय, शासन द्वारा स्वीकृत प्रति प्रशिक्षणार्थी, प्रति दिन की राशि के अनुसार ही किया जायेगा।

भोजन की व्यवस्था निम्न दो प्रकार की प्रणाली द्वारा की जायेगी:

मैस प्रणाली द्वारा

[illegible] व्यवस्था के लिए उपलब्ध [illegible]

(1)	रसोईया (कुक)	–	[illegible]
(2)	मसालची	–	[illegible]
(3)	भोजन व्यवस्था		[illegible] की जायेगी।

ठेकेदारी प्रणाली

यह प्रणाली तभी अपनाई जायेगी जब मैस प्रणाली [illegible] हो तथा इस व्यवस्था को चलाने के लिए [illegible] से लिखित रूप में अग्रिम स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी एवं [illegible] भी विवरण लिखित रूप से दिया जायेगा [illegible] है।

[illegible] प्रणाली में नियमानुसार निम्न कार्यवाही की जायेगी–

[illegible] अखबार में कम से कम 30 दिन पहले [illegible]

(ख) नियमानुसार निविदा आमंत्रित किया जायेगा।

(ग) ठेकेदार को उत्तरांचल सरकार के सभी ठेकेदारी नियमों व आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(घ) निविदा एक समिति द्वारा जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जायेगी तथा जिसमें परियोजना अधिकारी भी सदस्य होंगे, खोली जायेगी।

(ङ) इस प्रणाली में भी भोजन हेतु धनराशि की दर प्रति व्यक्ति उतने से अधिक नही होगी जो कि मैस प्रणाली में शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(च) ठेकेदार शासन द्वारा पंजीकृत होना चाहिए।

(छ) इस प्रणाली में रसोईया, मसालची, बर्तन, बिजली, पानी, आदि का किराया ठेकेदार को अपने खर्चे पर स्वयं वहन करना होगा।

(ज) ठेकेदार शिविर के परियोजना अधिकारी एवं क्वाटर मास्टर की देख–रेख व अधीन कार्य करेगा।

(झ) भोजनालय का रख–रखाव एवं सफाई व्यवस्था ठेकेदार की [illegible] भोजन व्यवस्था [illegible] स्वीकृत मैनू का [illegible] अनिवार्य होगा।

(ञ) ठेकेदार का [illegible] परियोजना [illegible] सन्तुष्टि पर [illegible] की जा सकती है।

[illegible]

[illegible] प्रशिक्षार्थियों [illegible] प्रशिक्षण [illegible] व [illegible] प्रशिक्षण [illegible] दिया [illegible]

(1)	मोजे	—	दो जोड़ा
(2)	पी.टी. [illegible]	—	एक जोड़ा
(3)	बनियान	—	दो
(4)	खाकी [illegible]	—	एक
(5)	खाकी [illegible]	—	एक
(6)	डांगरी	—	एक
(7)	बेल्ट	—	एक(रेन्ज [illegible])
(8)	प्लेट(स्टील/चीनी)	—	एक
(9)	मग (स्टील/चीनी)	—	एक
(10)	कम्बल	—	एक
(11)	दरी	—	एक
(12)	जर्सी(पुलोवर)	—	एक खाकी(ऊनी) [illegible]
(13)	टावल	—	एक

11 **प्रशिक्षण सुविधाओं का पुनर्विलोकन**

दो माह पश्चात प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पुनर्विलोकन किया जाना होगा ताकि ज्ञात हो सके कि प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु उच्च विधि/तकनीक अपनाई गई अथवा नहीं। प्रशिक्षण की उपयोगिता जाँचने के लिये सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा यह ज्ञात किया जाय कि प्रशिक्षण पश्चात कितने प्रशिक्षणार्थी सेना, अर्द्धसैनिक बलों एवं पुलिस बल एवं अन्य में भर्ती होने में सफल हुये तथा इसका पूर्ण विवरण समय–समय पर निदेशक एवं शासन को प्रेषित किया जाना होगा।

12 **नियमावली में संशोधन/परिवर्तन**

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन आवश्यकतानुसार शासन द्वारा निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल की संस्तुति से किया जायेगा।

यह नियमावली/दिशा निर्देश, निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

(आर० के० शर्मा)
सचिव
[illegible]